पत्रांक 3561 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::21 नवम्बर 2009,

प्रार्थना पत्र सं0 – 4377/दिनांक 24.8.09
श्री श्रवण कुमार जैन,
अध्यक्ष व्यापार सभा(रजि0) मुखर्जी मार्ग ऋषिकेश
निर्णय का दिनांक– अगस्त 2009,
फर्म की ओर से उपस्थित– कोई उपस्थित नही हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

श्री श्रवण कुमार जैन, अध्यक्ष व्यापार सभा (रजि0) मुखर्जी मार्ग ऋषिकेश द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए तीन बिन्दुओं जिनमें हैंण्डलूम कम्बल तथा शाल, रु0 250/– प्रति नग मूल्य से अधिक धनराशि वाले हैंण्डलूम कम्बल व शाल पर कर की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2 विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, देहरादून संम्भाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या 647 दिनांक 1–9–2009 जारी करते हुये अनुसूची एक के कमांक 70 पर अंकित प्रविष्टि में संशोधन करते हुये "रु0 250/– मूल्य तक के पावरलूम पर निर्मित कम्बल व शाल" को करमुक्त धोषित किया गया है तथा अधिसूचना संख्या 645 दिनांक 1–9–09 जारी करते हुये अनुसूची 2 (ख) के कमांक 123 की प्रविष्टि में संशोधन करते हुये उसमें "ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा तथा पावरलूम पर निर्मित ऐसे शाल व कम्बल जो अधिनियम की किसी अनुसूची में अन्यत्र विर्निदिष्ट नही है" को स्थापित करते हुये इन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है ।

3 व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। डाक द्वारा एक पत्र प्रेषित करते हुये पूर्व में पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में मत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

4 मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया । हैण्डलूम कम्बल एवं शाल पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत लागू करदेयता के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि अधिनियम की अनुसूची–1 के कमांक 29 पर "हथकरघे पर निर्मित सभी प्रकार के कपडे चाहे सादे, छपे हुये, रंगे हुये या कठे हुये हों, जिसके अन्तर्गत हथकरघे से बनी धोती, साडी, बेड–शीट,बेड–कवर्स, चद्दरें, मेज पोश, तकिये के गिलाफ, रुमाल,स्कार्फ, नेपकिन्स, झाडन, शाल, लोई, लिहाफ, झोला, संजाफ और झालरदार तौलिये, ओढनी और डुग्गा और हथकरघे पर निर्मित ऊनी कम्बल और नमदे सम्मिलित है और गांधी टोपी" प्रविष्टि को रखते हुये करमुक्त धोषित किया गया है। इसी अनुसूची के कमांक 70 पर दिनांक 22–1–2001 से अंकित प्रविष्टि "रु0 250/–मूल्य तक के हैंण्डलूम एवं पावरलूम पर निर्मित कम्बल व शाल" को रखते हुये इन्हें भी करमुक्त धोषित किया गया था, जिन्हें शासन की अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 1–9–2009 द्वारा संशोधित कर "रु0 250/–मूल्य तक के पावरलूम निर्मित कम्बल व शालें रखते हुये इनकी बिकी को करमुक्त धोषित किया गया है। इसी प्रकार शासन की अधिसूचना संख्या 645 दिनांक 1–9–09 द्वारा अनुसूची II (ख) के कमांक 123 पर अंकित प्रविष्टि जो कि पूर्व में ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा, शाल और कम्बल "के रुप में अंकित थी को संशोधित करते हुये ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा, तथा पावरलूम पर निर्मित ऐसे शाल व कम्बल जो

...2

अधिनियम की किसी अनुसूची में अन्यत्र विर्निदिष्ट नही है" इनकी बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। इस प्रकार रु0 250/– से अधिक मूल्य के पावरलूम पर निर्मित कम्बल व शाल पर करदेयता बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से लागू होगी तथा रु0 250/–मूल्य तक के पावरलूम पर निर्मित कम्बल व शाल करमुक्त रखे गये है । इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निधारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

भवदीय

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 3561 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. श्री श्रवण कुमार जैन अध्यक्ष व्यापार सभा(रजि0)मुखर्जी मार्ग ऋषिकेश।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की ।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

21.11.07

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।